

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2011—श्रावण 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्रमांक 5194/डी. 154/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा
प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 03 सन् 2011) एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता
है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011

(क्रमांक 3 सन् 2011)

विषय सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अध्यादेश किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

4. छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.
5. बल के सदस्यों के कृत्य एवं कर्तव्य.
6. निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.
7. बल के सदस्यों की नियुक्ति.
8. बल के सदस्यों का प्रशिक्षण.
9. पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि.
10. सेवा की समाप्ति, इत्यादि.
11. विद्यमान विशेष पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्रावधान.

अध्याय-तीन

विविध

12. राहत एवं पुनर्वास.
13. राज्य पुलिस में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.
14. बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 3 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण, माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं समर्थन के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल के गठन एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए उपबंध किए जाने हेतु अध्यादेश;

यतः, राज्य का एक बड़ा हिस्सा, जो मुख्यतः वनों से आच्छादित एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्र हैं, माओवादी/नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं एवं इन प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में संलग्न सुरक्षा बलों की सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों का एक प्रशिक्षित सशस्त्र बल स्थापित करने की आवश्यकता है जो स्थानीय क्षेत्र एवं भूदृश्य (स्थलाकृति) तथा स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान रखते हों;

और यतः, राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 कहलाएगा. | संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. |
| | (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा. | |
| | (3) इसे भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् माह जुलाई, 2011 की पांचवीं तिथि से प्रभावशील हुआ समझा जाएगा. | |
| 2. | (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— | परिभाषाएं. |
| | (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संबंधित पुलिस जिले का पुलिस अधीक्षक; | |
| | (ख) "परिवार का सदस्य" से अभिप्रेत है, बल के सदस्य की पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता; | |
| | (ग) "बल" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल; | |
| | (घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन; | |
| | (ङ) "माओवादी/नक्सली हिंसा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, सी.पी.आई. (माओवादी) के सदस्यों द्वारा नियोजित एवं संगठित हिंसा की गतिविधियां, इसके समस्त रूप एवं अग्र संगठन (फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन), जिन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है तथा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) के अधीन प्रतिबंधित किए गए हैं; | |

- (च) "बल के सदस्य" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य;
- (छ) "स्थायी निःशक्तता" से अभिप्रेत है, बल के किसी सदस्य की 50 प्रतिशत एवं अधिक की ऐसी निःशक्तता जो स्थायी प्रकृति की हो एवं निःशक्तता की श्रेणी में परिवर्तन की संभावना न हो एवं ऐसी उपहति/निःशक्तता ऐसी हो जो पीड़ित को अपने शेष जीवन काल में सामान्य जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देती हो;
- (ज) "पुलिस जिला" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) के अधीन पुलिस जिले के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;
- (झ) "विहित" से अभिप्रेत है, नियमों द्वारा विहित;
- (ञ) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश की धारा 7 के अधीन गठित छानबीन समिति;
- (ट) "सुरक्षा बल" से अभिप्रेत है, तथा इसमें सम्मिलित है राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई अर्ध सैनिक या सशस्त्र बल;
- (ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश की धारा 11 के अधीन गठित चयन समिति;
- (ड) "संवेदनशील क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसे क्षेत्र जिनके नक्सली/माओवादी हिंसा या अन्य किसी हिंसा का लक्ष्य होने की आशंका है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.
- (2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो कि इस अध्यादेश में प्रयुक्त हैं किन्तु विशेष तौर पर परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) के अधीन परिभाषित हैं.

अध्यादेश किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

3. इस अध्यादेश के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.

4. (1) राज्य के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल होगा जिसे छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जाना जाएगा जो लोक व्यवस्था के संधारण एवं माओवादी/नक्सली हिंसा एवं विद्रोह इत्यादि से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग करेगा.
- (2) सहायक सशस्त्र पुलिस बल में ऐसी संख्या में व्यक्ति शामिल होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए.

5. (1) बल के किसी सदस्य के कृत्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे—
- (क) सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग—
- (एक) लोक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में;
- (दो) आंतरिक सुरक्षा परिरक्षित करने में;
- (तीन) संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने; एवं
- (चार) गुप्त सूचना एकत्र करने में.
- (ख) लोक सम्पत्ति की सुरक्षा करना;
- (ग) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना;
- (घ) राहत कार्यों में शासकीय/लोक अधिकारियों की सहायता करना;
- (ङ) लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सुरक्षा उपलब्ध कराने में सुरक्षा बलों की सहायता करना;
- (च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन एवं ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाए.
- (2) उपरोक्त उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा के सदस्य उपर्युक्त कर्तव्यों के निर्वहन में, किसी अभियान के दौरान अग्रणी पंक्ति के स्थानों में तैनात नहीं किए जाएंगे तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त वे सदैव सुरक्षा बलों के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे जहां उनके जीवन को कोई आसन्न संकट न हो.
6. (1) सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सामान्य पर्यवेक्षण सभी विषयों के संबंध में राज्य सरकार में निहित होगा. निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.
- (2) बल का समग्र प्रशासन एवं निर्देशन राज्य के पुलिस महानिदेशक में निहित होगा.
- (3) इस अध्यादेश के प्रावधानों एवं उपरोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, बल का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, संबंधित पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक में निहित होगा.
7. (1) किसी पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल की नियुक्ति, इस अध्यादेश की धारा 11 एवं निम्नलिखित उप धाराओं में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार चयनित व्यक्तियों के बीच में से जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी. बल के सदस्यों की नियुक्ति.
- (2) पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संबंधित पुलिस क्षेत्र (रेंज) के प्रभारी महानिरीक्षक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जिले में निवासरत मूल व्यक्तियों के बीच में से किया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र, भूदृश्य (स्थलाकृति) एवं स्थानीय भाषा/बोली के जानकार हों.
- (3) चयन समिति में तीन सदस्य समाविष्ट होंगे, जो उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न के नहीं होंगे, जिसमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा.
- (4) बल में चयन के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, क्रमशः 18 वर्ष तथा 45 वर्ष होगी.

- (5) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो राज्य पुलिस में पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को पूरा करते हों।
- (6) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति चयनित किए जाएंगे जिन्होंने कक्षा पांचवी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की हो:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य माना गया है तथा वह पूर्वोक्त अर्हता धारण नहीं करता, उसे धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- (7) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित हो या ऐसी अन्य निरर्हता से ग्रस्त हो जो कि विहित की जाए, को बल में नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।
- (8) बल में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।

बल के सदस्यों का प्रशिक्षण. 8.

- (1) सहायक सशस्त्र पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य को छः माह से अन्यून अवधि के लिए ऐसा अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।
- (2) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के अलावा, निम्नलिखित का समावेश होगा—
 - (एक) ऐसे आग्नेयास्त्रों (फायर आर्म्स), जैसे कि विहित किए जाएं, के उपयोग के लिए छः माह का आयुध प्रशिक्षण;
 - (दो) सामुदायिक पोलिसिंग; (कम्यूनिटी पोलिसिंग)
 - (तीन) गुप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण;
 - (चार) प्राथमिक सहायता एवं चिकित्सीय देखभाल;
 - (पांच) मानव अधिकारों का मूलभूत ज्ञान;
 - (छः) आपराधिक विधि एवं प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान।

- (3) यदि किसी सदस्य ने बल में अपनी नियुक्ति के पूर्व विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे पूर्व प्रशिक्षण की कालावधि, विहित प्रशिक्षण की कालावधि में समाहित हो जाएगी।

पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि. 9.

- (1) बल के प्रत्येक सदस्य को निश्चित पारिश्रमिक जैसा राज्य शासन द्वारा विहित किया जावे तथा ऐसा महंगाई भत्ता एवं विशेष नक्सल क्षेत्र भत्ता जो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (जीडी) को ग्राह्य है, देय होगा। अन्य दूसरे भत्ते भी जैसा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आदेशित किए जाएं, बल के सदस्य को दिए जा सकते हैं।
- (2) बल के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।

बल से सेवा की समाप्ति, इत्यादि. 10.

- (1) बल का ऐसा कोई सदस्य जो 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नहीं रह जाएगा।
- (2) यदि बल का कोई सदस्य धारा 7 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता रखता हो, या ऐसे कदाचरण का दोषी पाया जाए जैसा कि विहित किया जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई का

अवसर देने के पश्चात् एवं लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे सदस्य की बल से सेवा समाप्त कर सकेगा।

- (3) ऐसा कोई सदस्य जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बल से सेवा समाप्त की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए, तथा ऐसा विहित प्राधिकारी साठ दिवस की कालावधि के भीतर व्यथित सदस्य के अभ्यावेदन पर विचार करेगा तथा प्राप्त अभ्यावेदन पर यथोचित आदेश पारित करेगा।
11. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश की तिथि पर, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति, इस अध्यादेश की तिथि से छः माह की कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य माना जाएगा:

विद्यमान विशेष पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्रावधान।

परंतु ऐसे समस्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल में उनके नियोजन को जारी रखने के लिए, एक छानबीन समिति द्वारा छानबीन के अध्यक्षीन होंगे एवं ऐसे सभी व्यक्ति जो ऐसी छानबीन में उपयुक्त पाए जाएं सेवा में बने रहेंगे तथा इस अध्यादेश की तिथि से छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हो गए माने जाएंगे।

- (2) धारा 7 की उपधारा (3) के प्रावधान, उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु छानबीन समिति के गठन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश की तिथि पर, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति को बने रहने का अधिकार होगा।

अध्याय-तीन

विविध

12. (क) मृत्यु/स्थायी निःशक्तता के प्रकरण में राहत.— यदि बल का कोई सदस्य, नक्सलियों/माओवादियों से सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता के दौरान मृत या स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, तो उसे/उसके परिवार के सदस्यों को निम्नानुसार राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाएगा—
- (एक) बल के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके जीवित जीवन-साथी अथवा यदि ऐसा जीवन-साथी न हो तो उसके परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी;
- (दो) बल के किसी सदस्य को स्थायी निःशक्तता के मामले में अनुग्रह राशि के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी जो 3 लाख रुपये से कम नहीं होगी।
- (ख) रोजगार, आवास एवं चिकित्सा सुविधा.—
- (एक) बल के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी;
- (दो) मृतक के परिवार के सदस्यों को शासन द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट योजना के अंतर्गत जिले में निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

राहत एवं पुनर्वास।

(तीन) बल के किसी सदस्य तथा उसके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा/सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी;

(चार) ऐसी अन्य कोई सहायता जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाए.

- | | | |
|--|-----|--|
| राज्य पुलिस में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता. | 13. | बल के सदस्य ऐसे मापदण्डों के अधीन रहते हुए, राज्य पुलिस में पुलिस कार्यपालक तृतीय श्रेणी सेवा में आरक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए. |
| सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण. | 14. | बल के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके ऐसे किसी कार्य के लिए जो उसने सद्भावनापूर्वक किया है या सद्भावनापूर्वक किया जाना आशायित है अथवा इस अध्यादेश के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई किसी चूक के लिए कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी. |
| नियम बनाने की शक्ति. | 15. | (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तथा इसे प्रभावशील बनाने के लिए नियम बना सकेगी.
(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के उपरान्त यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा. |
| कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. | 16. | (1) यदि इस अध्यादेश के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो.
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश, इसके पारित किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा. |

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्रमांक 5194/डी. 154/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 03 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

THE CHHATTISGARH AUXILIARY ARMED POLICE FORCE-ORDINANCE, 2011
(No. 3 of 2011)

CONTENTS

CHAPTER-I
Preliminary

Sections

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Ordinance not in derogation of any other law.

CHAPTER-II
Constitution and Organisation of the Force

4. Constitution of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force.
5. Functions and duties of the members of the force.
6. Direction, supervision, etc.
7. Appointment of members of the force.
8. Training of the members of the force.
9. Remuneration, allowances, etc.
10. Termination from the force, etc.
11. Provisions in respect of existing Special Police Officers.

CHAPTER-III
Miscellaneous

12. Relief and Rehabilitation.
13. Eligibility for appointment to the post of constable in the State Police.
14. Protection for the acts of the members of the force.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2011)

THE CHHATTISGARH AUXILIARY ARMED POLICE FORCE ORDINANCE, 2011

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-Second Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the constitution and regulation of an Auxiliary Armed Police Force in the State to aid and assist the security forces in the maintenance of public order, prevention, control and combating maoist/naxal violence, insurgency, etc. and matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS, a large part of the State, mostly comprising of forest and inaccessible tribal areas, is affected by maoist/naxal violence and it is necessary to establish a trained armed force of persons having knowledge of local area and topography and local language/dialect to assist the security forces engaged in preventing, controlling and combating maoist/naxal violence in the affected areas;

AND WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

CHAPTER-I
Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Ordinance, 2011.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the fifth day of July, 2011.

Definitions.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "appointing authority" means Superintendent of Police of the concerned Police District;
 - (b) "family member" means wife, children, and parents of the member of the force;
 - (c) "force" means the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force constituted under the provisions of this Ordinance;
 - (d) "Government" means the State Government of Chhattisgarh;
 - (e) "maoist/naxal violence" means and includes planned and organised acts of violence by members of the CPI (Maoists), all its formations and front organisations, which have been declared a terrorist organisation and banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and under the Chhattisgarh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006) ;
 - (f) "member of the force" means a member of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force appointed under the provisions of this Ordinance ;
 - (g) "permanent incapacitation" means a disability of 50% and above suffered by a member of the force which is of permanent nature and

there are no chances of variation in the degree of disability and the injury/disability renders the victim unfit for normal life for the rest of his life;

- (h) "police district" means the territory notified as police district under the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007);
 - (i) "prescribed" means prescribed by rules;
 - (j) "screening committee" means the screening committee constituted under Section 7 of this Ordinance;
 - (k) "security force" means and includes State Police, Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force or any para military or armed force of any State Government or the Government of India;
 - (l) "selection committee" means selection committee constituted under Section 11 of this Ordinance;
 - (m) "sensitive areas" means areas that are apprehended to be likely targets of naxal/maoist violence or any other violence;
 - (n) "State" means State of Chhattisgarh.
- (2) Words and expressions used in this Ordinance but not defined specifically shall have the same meaning as defined under the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

3. The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Ordinance not in derogation of any other law.

CHAPTER-II

Constitution and Organisation of the Force

4. (1) There shall be an Auxiliary Armed Police Force for the State to be known as Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force to aid and assist the security forces in the maintenance of public order and preventing, controlling and combating maoist/naxal violence and insurgency, etc.
- (2) The Auxiliary Armed Police Force shall consist of such number of persons as may be determined by the State Government from time to time.
5. (1) The functions and duties of a member of the force shall be the following—
- (a) to aid and assist security forces in—
 - (i) maintaining public peace and order;
 - (ii) preserving internal security;
 - (iii) patrolling sensitive areas; and
 - (iv) gathering intelligence.
 - (b) to protect public property;
 - (c) to help people in situations arising out of natural or man-made disasters;
 - (d) to assist government/public agencies in providing relief measures;

Constitution of the Auxiliary Armed Police Force.

Functions and duties of members of the force.

- (c) to assist the security forces in providing security to public authorities in discharging their functions;
- (f) to perform such other duties and discharge such other responsibilities as may be enjoined upon him by the state government through a notification published in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) above, the members of the force, while performing any of the above mentioned duties, shall not be deployed in the front line positions of an operation and shall always work under supervision of the security forces other than in discharge of duties where there is no apprehended danger to their lives.

Direction, supervision, etc.

6. (1) The general superintendence over the Auxiliary Armed Police Force in respect of all matters shall vest in the State Government.
- (2) The overall administration and direction of the force shall be vest in the Director General of Police.
- (3) Subject to the above and to the provisions of this Ordinance, the command and supervision of the force shall vest in the Superintendent of Police of the concerned Police District.

Appointment of member of the force.

7. (1) Appointments to the Auxiliary Armed Police Force for any Police District shall be made by the Superintendent of Police of the District from amongst the persons selected in accordance with the provisions contained in the following sub-sections and section 11 of this Ordinance.
- (2) Selection of persons to be appointed as members of the Auxiliary Armed Police Force for a Police District shall be made from amongst persons domiciled in the District, who are conversant with the local area, topography and local language/dialect, by a selection committee to be constituted by the Inspector General in charge of the concerned police range.
- (3) The selection committee shall consist of three members, not below the rank of Deputy Superintendent of Police, of which at least one member shall belong to scheduled tribes.
- (4) The minimum and the maximum age limit for selection to the force shall be 18 years and 45 years, respectively.
- (5) Only such person who meets the physical fitness criteria laid down for appointment as Police Constable of the State Police shall be selected for appointment to the force.
- (6) Only such person who has passed class five school certificate examination shall be selected for appointment to the force:

Provided that a person deemed to be a member of the Auxiliary Armed Police Force under sub-section (1) of section 11 and does not possess the aforesaid qualification, shall be imparted specially designed course in elementary education during the training specified under section 8.

- (7) No person, who has been convicted for any offence or against whom criminal proceedings have been instituted in any court or possesses such other disqualification as may be prescribed, shall be selected for appointment to the force.
- (8) The procedure for selection of persons for appointment to the force shall be such as may be prescribed.

8. (1) Every member of the Auxiliary Armed Police Force shall be imparted such compulsory training for a period not less than six months, as may be prescribed. **Training of members of the force.**
- (2) The training curriculum shall, among other matters, include—
- (i) arms training of six months for the use of such firearms as may be prescribed;
 - (ii) community policing;
 - (iii) intelligence gathering;
 - (iv) first aid and medical care;
 - (v) basic knowledge of human rights;
 - (vi) basic knowledge of criminal law and procedure.
- (3) If any member has undergone the prescribed training prior to his appointment to the force, the period of such earlier training shall be included in the training period prescribed.
9. (1) Every member of the force shall be paid fixed remuneration as prescribed by the State Government; and such dearness allowance and special naxal area allowance as admissible to the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (GD). Any other allowances may also be paid to the member of the force as ordered by the State Government from time to time. **Remuneration allowances, etc.**
- (2) Other conditions of service of members of the force shall be such as may be prescribed.
10. (1) A member of the force who attains age of 55 years shall be ceased to be a member of the Auxiliary Armed Police Force. **Termination from force, etc.**
- (2) If a member of the force acquires any disqualification specified in sub-section (7) of section 7, or found guilty of such misconduct as may be prescribed, the appointing authority may, after giving an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, terminate such member from the force.
- (3) A member who has been terminated from the force by the appointing authority, may make representation to such authority as may be prescribed; and such prescribed authority shall consider the representation of the aggrieved member within a period of sixty days and pass appropriate order on the representation made.
11. (1) Notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court, every person serving as a Special Police Officer on the date of this Ordinance shall, for a period of six months from the date of this Ordinance, be deemed to be a member of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force: **Provisions in respect of existing Special Police Officers.**
- Provided that all such persons shall be subject to screening by a screening committee for their continued employment to the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, and all such persons found fit in such screening shall continue in service and deemed to have become members of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force from the date of this Ordinance.
- (2) The provisions of sub-section (3) of section 7 shall apply mutatis-mutandis to the constitution of the screening committee for the purpose of sub-section (1).
- (3) Notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court, every person serving as a special police officer on the date of this Ordinance, shall have a right to continue.

CHAPTER-III
Miscellaneous

Relief and Rehabilitation.

12. (A) **Relief in case of death/permanent incapacitation.**—If any member of the force dies or is permanently incapacitated in the course of assisting security forces in combating against naxals/maoists, then he/his family members shall be provided relief and rehabilitation as under—

(i) in case of death of a member of the force the surviving spouse or if there is no surviving spouse then the family shall be entitled to get an amount by way of Ex-gratia which shall not be less than Rs. 5 lakh;

(ii) in case of permanent incapacitation a member of the force shall be entitled to get an amount by way of Ex-gratia which shall not be less than Rs. 3 lakh.

(B) **Employment, Housing and Medical Facility.**—

(i) in case of death of a member of the force any adult member of the family shall be given compassionate appointment as per the instructions issued by the State Government;

(ii) family members of the deceased shall be provided free housing facility in district under the scheme designed for this purpose by the State Government from time to time;

(iii) a member of the force and his family members would be entitled to get medical facility/assistance as admissible to the employees of the State Government;

(iv) any other relief as may be declared by the State Government from time to time.

Eligibility for appointment to the post of constable in the State Police.

13. The members of the force shall be eligible for appointment to the post of constable in class III Police Executive Service in the State Police, subject to the criteria as may be prescribed by the State Government.

Protection for acts of members of the Auxiliary Armed Police Force.

14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member of the force for any act which is in good faith done or purported to be done or omitted to be done during the course of performance of his duty under this Ordinance.

Power to make rules.

15. (1) The State Government may, by notification to be published in Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of and to give effect to this Ordinance.

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

16. (1) If any difficulty arises in giving effect to any provision of this Ordinance, the State Government may pass such order, to be published in the Official Gazette, as may be necessary or expedient for removing the difficulty. **Power to remove difficulties.**
- (2) Every order passed under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is passed, be laid before State Legislative Assembly.

